IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 2, November 2023

महिला सशक्तिकरण : गांधी की दृष्टि में

प्रोफेसर एन. पी. पाठक
विभागाध्यक्ष व्यावसायिक अर्थशास्त्र
अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय,
रीवा (म.प्र.)

वन्दना मिश्रा
शोधार्थी व्यावसायिक अर्थशास्त्र
अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय,
रीवा (म.प्र.)

शोध सारांश :-

पितृसत्तात्मक समाज अक्सर महिलाओं को अपने परिवार तक ही सीमित रहने के लिए उकसाता है। अपने पतियों या परिवार के अन्य पुरुष सदस्यों की कानूनी और प्रथागत अधीनता के तहत, यह स्वतंत्रता–पूर्व काल में भी प्रचलित थी। इसके विपरीत, मध्ययुगीन और ब्रिटिश काल की तुलना में वैदिक काल में महिलाओं को अधिक अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त थी। गांधी–पूर्व काल में लैंगिक असमानता और लैंगिक हिंसा सर्वव्यापी थी। महिलाओं को सभी बुराइयों की जड़ और पुरुषों के पतन के लिए जिम्मेदार माना जाता था। लेकिन 21वीं सदी में महिला सशक्तिकरण सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक बन गया है और उसी दिशा में काम करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं जैसे महिला आरक्षण विधेयक को कानून के रूप में लागू करना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसी विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना, मेधावी महिला छात्रों को छात्रवृत्ति आदि जैसे प्रोत्साहन दिए गए।

मुख्य शब्द :- महिला, सशक्तिकरण, गॉधी, दृष्टि, परिवार, स्वतंत्रता, पूर्व काल आदि।

प्रस्तावना :-

भारत में महिला शिक्षा की स्थिति देश की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है। हालाँकि, स्वतंत्रता–पूर्व समय के दौरान, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानता के मामले में बड़ी मात्रा में असमानता मौजूद थी, और लिंग के आधार पर सामाजिक भेदभाव प्रचलित था, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं को अपने पुरुष समकक्षों के रूप में शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी। इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए गांधीजी का मानना था कि महिलाओं के खिलाफ सभी बुराईयों का मूल कारण शिक्षा और जानकारी की कमी है। उन्होंने यह भी कहा, यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं।

महिलाओं के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गांधीजी ने बुनियादी शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा के पैटर्न के रूप में प्रचारित किया, इस विशिष्ट विशेषता के साथ कि यह उत्पादक कार्य करती है और संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का मुख्य आधार है। उन्होंने माताओं को शिक्षा प्रदान करने पर भी जोर दिया, ताकि वे बच्चों को प्रभावी ढंग से शिक्षा प्रदान कर सकें और राष्ट्र का विकास महिलाओं पर निर्भर हो।

2011 की जनगणना के अनुसार, देश में पुरुषों के लिए साक्षरता दर 82.14 और महिलाओं के लिए 65.46 थी, जो महिलाओं की सामाजिक स्थिति में बड़ी मात्रा में असमानता और व्यापक भिन्नता को उजागर करती है। इस खतरे को देखने के लिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लिंग–उत्तरदायी नीतियां और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई अभियान जैसे कई

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 2, November 2023

प्रोत्साहन उठाए गए, लेकिन अभी भी धूमिल रोशनी है और इस मुद्दे को सतत् की तर्ज पर तत्काल निपटाने की आवश्यकता है। विकास लक्ष्य 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना और महिला केंद्रित विकास सुनिश्चित करना।

स्वतंत्रता के दौरान महिलाओं का राजनीतिक रुख गांधीजी ने बड़ी संख्या में महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन की मुख्यधारा में लाने में नायक के रूप में काम किया। इसके अलावा, उन्होंने नई सामाजिक व्यवस्था के निर्माण के संघर्ष में महिलाओं को एक संभावित शक्ति के रूप में माना। उन्होंने एक मानवीय और शोषण–मुक्त समाज के निर्माण के लिए महिलाओं की स्वतंत्रता और ताकत के मुद्दे को बढ़ावा देने के लिए समाज के दायरे में प्रवेश किया। गांधी अक्सर कहते थे, परंपरा के पानी में तैरना अच्छा है, लेकिन उनमें डूबना आत्महत्या है। उन्होंने नमक कानून तोड़ने के लिए महिलाओं को अपने साथ लेकर और साथ ही उन्हें मुख्य पात्रों के रूप में चित्रित करके उनके राजनीतिक रुख को ऊपर उठाया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान. इसका समर्थन करने के लिए उन्होंने सीता और द्रौपदी के प्रतीकों को बढ़ावा देकर और महिलाओं को स्वतंत्र और निडर होने के लिए प्रोत्साहित करके विभिन्न महिलाओं के मनोविज्ञान के साथ–साथ इससे जुड़ी विभिन्न रूढ़ियों को बदलने के लिए काम किया।

भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद, इसके संविधान ने सभी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान स्थिति की गारंटी दी। संविधान का भाग III पुरुषों और महिलाओं के मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है और भारत को दुनिया के सबसे लचीले लोकतंत्रों में से एक माना जाता है, लेकिन एक वास्तविक प्रतिनिधि लोकतंत्र राजनीति में महिलाओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग करता है। संविधान में 73वें और 74वें संशोधन के बाद, महिलाओं को स्थानीय संस्थानों में 1/3 आरक्षित सीटों की गारंटी दी गई थी, और वर्तमान में, महिला आरक्षण विधेयक के पारित होने से राष्ट्रीय राजनीति में महिला राजनीतिक नेताओं को 1/3 हिस्सेदारी प्रदान करने का भी प्रयास किया गया है।

महिलाओं को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, हाल ही में महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है, और बेटियों को हिंदू परिवारों में सहदायिक के बराबर दर्जा दिया गया है, जिससे उन्हें विरासत मिलती है। अधिकार। लेकिन रक्षा, पुलिस, विज्ञान और नौकरशाही जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी कम है। वे महिलाओं को सदियों से चले आ रहे रूढ़िवादी रीति–रिवाजों और नियमों से बाहर लाने के लिए अधिक महिला–अनुकूल कानून और कानून लाने के लिए एक मशाल वाहक के रूप में कार्य करते हैं।

महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर गांधी के विचार स्वयं की धारणा कंडीशनिंग का विषय है। वह समाज में ग्रामीण महिलाओं की अधीनता को ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे और अत्यधिक भेदभाव के समय में शांति के प्रतीक बने। वह सती प्रथा, बाल विवाह, विधवाओं पर अत्याचार, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा आदि सामाजिक प्रथाओं के खिलाफ थे। उन्होंने बाल विवाह की प्रथा को खत्म करने के लिए कई कदम उठाए क्योंकि उनका मानना था कि पुरुषों और महिलाओं को अपना खुद का निर्माण करने में सक्षम होना चाहिए। परिपक्वता के साथ निर्णय इन बुरी सामाजिक प्रथाओं से निपटने के लिए उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया और महिलाओं को उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आर्थिक उत्थान, संपत्ति के अधिकार आदि सुनिश्चित करके उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने पर जोर दिया, जिससे महिलाओं को घरेलू बंधनों को तोड़ने में मदद मिल सके।

वर्तमान भारत में महिलाएं सभी बाधाओं को तोड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। कल्पना चावला से लेकर मीराबाई चानू तक महिलाएं आकाश को अपनी सीमा मानकर चुनौती दे रही हैं। हाल ही में चंद्रयान 3 की सफलता में महिला वैज्ञानिकों की उपस्थिति देखी गई, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू दुनिया के सामने एक उदाहरण स्थापित कर रही हैं कि भारत एक बेहतर और सामूहिक राष्ट्र के निर्माण के लिए महिलाओं के साथ मिलकर काम कर रहा है। सती प्रथा, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या आदि सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्त कर दिया गया है।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 2, November 2023

कोई भी देश वास्तव में तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक उसकी आधी आबादी को पीछे छोड़ दिया जाए, इसलिए नया भारत महिलाओं को समान आवाज और वांछित मंच प्रदान करके महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की तलाश कर रहा है।

महिलाओं का सशक्तिकरण समाज के विकास के लिए एक पूर्व शर्त है, क्योंकि यह विकास के लिए उपलब्ध मानव संसाधनों की गुणवत्ता और मात्रा दोनों को बढ़ाता है। देश के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता हासिल करना हमारे समाज के लिए आवश्यक है। लेकिन भारत वर्तमान में सामाजिक बुराई की कई चुनौतियों से जूझ रहा है जैसे कि घरेलू हिंसा और बलात्कार की घटनाएं बड़े पैमाने पर व्याप्त हैं, हाल ही में मणिपुर में सबसे विनाशकारी मामला है, महिलाओं को एसिड हमलों का आसान लक्ष्य माना जाता है, लक्ष्मी सच्ची उत्तरजीवी है इनमें से, छेड़छाड़ की बढ़ती घटनाएं, दहेज की प्रथा, परिवार में महिलाओं के साथ असमान व्यवहार आदि शामिल हैं। इस दिशा में कई कदम उठाए जाने के बावजूद, महिलाएं सम्मान और स्वतंत्रता से भरा जीवन नहीं जी पा रही हैं। इसलिए महिलाओं के खिलाफ हिंसा को कम करने और उनके शोषण को कम करने के लिए कठोर नीतियां और कानून बनाए जाने चाहिए।

इसके अलावा, सशक्तिकरण का अर्थ एक ऐसा माहौल बनाना है जिसमें कोई व्यक्ति निर्णय ले सके और क्रांति के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से विकल्प चुन सके। यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है जो व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूहों को जीवन के सभी क्षेत्रों में उनकी पूर्ण पहचान और शक्तियों का एहसास करने की सुविधा प्रदान करती है। महिलाओं का सशक्तिकरण कई सामाजिक समस्याओं को हल करने और आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि वे पारंपरिक रूप से समाज में वंचित हैं।

निष्कर्ष

गांधीवादी विचार के अनुसार, हमारे बौद्धिक, वित्तीय और भौतिक संसाधनों को साझा किए बिना महिलाओं का सशक्तिकरण संभव नहीं है। अशिक्षित महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकालने के लिए महात्मा गांधी ने जितना काम किया, उतना किसी भी समाज सुधारक ने नहीं किया। इसलिए वर्तमान युग में भी महिला सशक्तिकरण के लिए गांधीवादी प्रयासों को जानने की जरूरत है। उन नीतियों का नियमित विश्लेषण करके महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां लागू की गई हैं ताकि समय–समय पर संशोधन सुनिश्चित किया जा सके और जल जीवन मिशन जैसी विभिन्न जमीनी स्तर की पहल जो घरेलू महिलाओं के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करती है, विभिन्न शब्दों की शब्दावली में हालिया बदलाव महिलाओं से संबंधित कानूनी भाषा के उपयोग, बेहतर शैक्षिक बुनियादी ढांचे, अच्छे कामकाजी माहौल यानी महिलाओं को शामिल करने को बढ़ावा देने की जरूरत है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गांधी जी को अब तक भारत और विश्व की महिलाओं का सबसे अच्छा मित्र माना जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ. (सुश्री) अनुपमा कौशिक, लैंगिक हिंसा और लैंगिक समानता पर गांधी द्वारा एक सिंहावलोकन महिलाओं पर लेख।
2. चोपड़े, वी. आर. (2021, 8 दिसंबर), स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी पर महात्मा गांधी का दृष्टिकोण।
3. टीम, एस. (2017, 2 अक्टूबर), महिलाओं और उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने पर महात्मा गांधी।
4. पाटगिरी, आर. (2020), महिलाओं और सामाजिक न्याय के प्रति गांधी का दृष्टिकोण।
5. पटेल, वी.एन. (2021, 25 दिसंबर), गांधी और महिला सशक्तिकरण के लिए उनका दृष्टिकोण।
6. थीपा, एस. (2020, 1 जनवरी), शिक्षा में गांधी का योगदान।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 2, November 2023

7. घोष, ए.के. (2022, 21 नवंबर), भारत की संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, प्रगति को मापना, बाधाओं का विश्लेषण करना।